न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 28/2021

प्रार्थीगण :–

1. शंकरराराम वल्उ भैराराम
2. जवानाराम वल्द भैराराम
3. झमूदेवी पत्नी भैराराम
4. सिमरथाराम वल्द रूघाराम
5. सांवलाराम वल्द रूघाराम

कौम कलबी निवासी सिन्धासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. मोटाराम वल्द तुलछा
2. हीराराम वल्द तुलछा
3. पुरखाराम वल्द तुलछा
4. भेरा वल्द जेठा
5. रणछोडा वल्द जेठा
6. नेथी वल्द जेठा
7. भभूमल वल्द रतनाराम
8. जीवाराम वल्द पीराराम
9. प्रभुराम वल्द पीराराम
10. नरसीराम वल्द पीराराम
11. चौथीदेवी पत्नी पीराराम
12. भभूताराम वल्द उमाराम
13. बाबूराम वल्द उमाराम
14. हस्तु पत्नी उमाराम

कौम कलबी साकिन सिन्धासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी

15. चिमनाराम वल्द फूआराम
16. भगवानाराम वल्द फूआराम
17. रूघाराम वल्द फूआराम

कौम जाट साकिन अरटवाव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

18. तहसीलदार गुडामालानी

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थितः–

1. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 10·08·21

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। [illegible] दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया [illegible] मौजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही [illegible] की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.08.16 13:50:43 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थीगण की विद्वान अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2070–2073 सरहद मौजा सिन्धासवा हरनियान पटवार मण्डल सिन्धासवा हरनियान तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 392/1 रकबा 25–15 बीघा भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मौजा सिन्धासवा हरनियान पटवार मण्डल सिन्धासवा हरनियान तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 392/1 रकबा 25–15 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक .... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.08.16 13:50:43 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी